पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1138
दिनांक-07.07.2026

जोन-पूर्वी/थाना-बीबीडी

➢ **बीबीडी पुलिस की त्वरित कार्रवाई, अपहरण कर फिरौती मांगने वाले 04 अभियुक्तों 02 घण्टे के अन्दर किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण –

दिनांक **06.07.2026** को वादी **राम सुरेश चौधरी पुत्र राम सेवक चौधरी**, निवासी ग्राम एवं पोस्ट बरहपुर कुंवर, थाना हरैया, जनपद बस्ती द्वारा थाना बीबीडी पर सूचना दी गई कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके भतीजे **निर्भय वर्मा (उम्र 21 वर्ष)** तथा उसके साथी **अभिषेक वर्मा** का अपहरण कर उनके मोबाइल के माध्यम से **₹20,000 ऑनलाइन ट्रांसफर** करा लिए गए हैं।

प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए थाना बीबीडी पर तत्काल **मु0अ0सं0 212/2026 धारा 140(2) बीएनएस** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रभारी निरीक्षक बीबीडी के नेतृत्व में पुलिस की विभिन्न टीमें गठित कर संभावित स्थानों पर सघन तलाश एवं प्रभावी कार्रवाई प्रारंभ की गई।

गठित पुलिस टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्यों, उपलब्ध सूचनाओं, स्थानीय स्तर पर विकसित किए गए इनपुट एवं जमीनी स्तर पर सतत पुलिस कार्रवाई के आधार पर संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश की गई। इसी क्रम में पुलिस टीम को महत्वपूर्ण इनपुट प्राप्त हुए, जिसके आधार पर आनन्दी वाटर पार्क के आसपास संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों की जानकारी मिलने पर तत्काल क्षेत्र की घेराबंदी कर सुनियोजित ढंग से कार्रवाई की गई।

पुलिस टीम द्वारा मौके पर मौजूद संदिग्ध व्यक्तियों को घेरकर पकड़ लिया गया। पूछताछ में उन्होंने अपने नाम क्रमशः—

1. **अभय चौधरी** पुत्र सुरेन्द्र कुमार चौधरी, निवासी चंगेरवा, जनपद बस्ती (हाल पता- तफरी चाय कैफे, बीबीडी), उम्र 19 वर्ष।
2. **नवनीत तिवारी उर्फ गोलू** पुत्र राम सहाय तिवारी, निवासी शिवपुर कला, चौकी दहिलामऊ, जनपद प्रतापगढ़ (हाल पता- दयाल रेजिडेंसी, आराधना बिल्डिंग के सामने), उम्र 20 वर्ष।
3. **पीयूष राज** पुत्र अमरनाथ, निवासी गोठा, थाना दोहरीघाट, जनपद मऊ (हाल पता- दयाल रेजिडेंसी), उम्र 19 वर्ष।
4. **आर्यन सिंह** पुत्र निर्भय कुमार सिंह, निवासी कूड़ाघाट सिंघड़िया, थाना एम्स, जनपद गोरखपुर (हाल पता- दयाल रेजिडेंसी), उम्र 18 वर्ष। बताया।

अभियुक्तों की निशानदेही पर अपहृत **निर्भय वर्मा** एवं **अभिषेक वर्मा** को सकुशल बरामद कर लिया गया।
पूछताछ एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियोग में **धारा 308(4) बीएनएस** की बढ़ोत्तरी की गई तथा चारों अभियुक्तों को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

प्रारंभिक विवेचना में यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्तों द्वारा दोनों युवकों का अपहरण कर उनसे **₹20,000 ऑनलाइन ट्रांसफर** कराया गया था। इस प्रकार अभियुक्तों ने संगठित रूप से अपहरण कर अवैध धन प्राप्त करने का अपराध कारित किया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास के संबंध में अन्य जनपदों एवं संबंधित इकाइयों से जानकारी प्राप्त की जा रही है। प्रकरण में साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

02-अपराध करने का तरीका-

अभियुक्तगण द्वारा दोनों युवकों का अपहरण कर उन्हें अपने कब्जे में रखा गया तथा उन पर दबाव बनाकर उनके माध्यम से **₹20,000 ऑनलाइन ट्रांसफर** कराया गया। पुलिस की त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई के चलते घटना का शीघ्र खुलासा करते हुए दोनों अपहृतों को सुरक्षित मुक्त कराया गया तथा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. अभय चौधरी पुत्र सुरेन्द्र कुमार चौधरी निवासी चंगेरवा जिला बस्ती हालपता तफरी चाय कैफे बीबीडी उम्र 19 वर्ष

02. नवनीत तिवारी उर्फ गोलू पुत्र राम सहाय तिवारी निवासी शिवपुर कलाँ चौकी दहिलामऊ जनपद प्रतापगढ़ हालपता दयाल रेजिडेंसी आराधना बिल्डिंग के सामने उम्र 20 वर्ष

03. पीयूष राज पुत्र अमरनाथ निवासी गोठा थाना दोहरी घाट जनपद मऊ हालपता- दयाल रेजिडेंसी उम्र 19 वर्ष

04.आर्यन सिंह पुत्र निर्भय कुमार सिंह निवासी कूड़ाघाट सिंघड़िया थाना एम्स जनपद गोरखपुर हलपता दयाल रेजिडेंसी उम्र 18 वर्ष

04-पंजीकृत/अनावरित अभियोग का विवरणः-

1.मु0अ0सं0 212/2026 धारा 140(2)/308(4) बीएनएस थाना बीबीडी जनपद लखनऊ

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1- प्रभारी निरीक्षक श्री राम सिंह थाना बी0बी0डी0 जनपद लखनऊ।

2- उ0नि0 श्री प्रमोद चौधरी थाना बी0बी0डी0 जनपद लखनऊ।

3- हे0का0 हिमांशु कुमार राय थाना बी0बी0डी पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।

4- हे0का0 रविशंकर सिंह थाना बी0बी0डी पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।

5- का0 सूरज सिंह थाना थाना बी0बी0डी पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1137
दिनांक-07.07.2026

जोन-उत्तरी/थाना-महिगवां

➢ **थाना महिगवां पुलिस की प्रभावी कार्यवाही के तहत मारपीट एवं जानलेवा हमले के अभियोग में फरार चल रहे अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

01-संक्षिप्त विवरण-

श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस उपायुक्त उत्तरी, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त उत्तरी तथा श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त बीकेटी के पर्यवेक्षण में थाना महिगवां पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

दिनांक 01.10.2025 वादी मुकदमा सुभाष कुमार गौतम पुत्र मुन्नू लाल गौतम निवासी ग्राम बराखेमपुर, थाना महिगवां, जनपद लखनऊ द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 129/2025, धारा 105/115(2)/352/351(3)/191(2) बीएनएस व 3(1)द,3(1)ध व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना महिगंवा पंजीकृत कराया गया। उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रभावी कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा लगातार सुरागरसी एवं पतारसी की जा रही थी।

इसी क्रम में दिनांक 07.07.2026 को श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त बीकेटी महोदय द्वारा पूर्व में निर्गत आदेशों के अनुपालन में मुखबिर की सूचना पर थाना महिगवां पुलिस टीम द्वारा मवई कला चौराहा स्थित देशी शराब की दुकान के सामने बने होटल से अभियोग में वांछित आकाश उर्फ आकर्ष को उसके अपराध से अवगत कराते हुए आज दिनांक 07.07.2026 समय करीब 11:55 बजे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी एवं अभिरक्षा की सम्पूर्ण कार्यवाही के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। अभियुक्त के परिजनों को गिरफ्तारी की सूचना नियमानुसार दूरभाष के माध्यम से प्रदान की गई तथा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

02- अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने अपना नाम आकाश उर्फ आकर्ष पुत्र दिनेश कुमार गौतम निवासी ग्राम मवईकला, थाना महिगवां, जनपद लखनऊ, उम्र लगभग 21 वर्ष बताया। अभियुक्त ने बताया कि उसके विरुद्ध थाना महिगवां में मुकदमा पंजीकृत होने के कारण वह पुलिस से बचने के उद्देश्य से छिपकर रह रहा था। पुलिस टीम को देखकर वह मौके से भागने का प्रयास करने लगा, किन्तु पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर उसे पकड़ लिया गया।

03-पंजीकृत/अनावरित अभियोग-

1.मु0अ0सं0 129/2025, धारा 105/115(2)/352/351(3)/191(2) बीएनएस व 3(1)द,3(1)ध व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना महिगंवा लखनऊ।

04- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.आकाश उर्फ आकर्ष पुत्र दिनेश कुमार गौतम निवासी ग्राम मवईकला, थाना महिगवां, लखनऊ उम्र लगभग 21 वर्ष।

05- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री राधे श्याम मौर्या (थानाध्यक्ष /टीम प्रभारी)
2. उ0नि0 जगमोहन दुबे
3. हे0का0 अनिगपाल सिंह
4. आ0 बनारसी
5. आ0 लाल मोहम्मद

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1132

दिनांक-07.06.2026

जोन-पश्चिमी / थाना-नाका हिण्डोला

- **थाना नाका हिण्डोला पुलिस टीम द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.05.2026 को वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित प्रार्थना पत्र के माध्यम से सूचना दी जिसके आधार पर मु0अ0सं0- 82/2026 धारा- 69 बीएनएस थाना नाका हिण्डोला लखनऊ, बावत अभियुक्त एजाज मिर्जा पुत्र अजीज मिर्जा उम्र करीब 37 वर्ष निवासी 1549 अहमदाबाद मोती बलूच वाद भंडारी पोल थाना कालुपुर निकट फारूकी मस्जिद जनपद अहमदाबाद द्वारा वादिनी के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के सम्बन्ध में पंजीकृत है।

उपरोक्त घटना मे अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपायुक्त, पश्चिमी के निर्देशित किया गया । थाना नाका पुलिस द्वारा आज दिनांक 07.07.2026 को मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त एजाज मिर्जा पुत्र अजीज मिर्जा निवासी 1549 अहमदाबाद मोती बलूच वाद भंडारी पोल थाना कालुपुर निकट फारूकी मस्जिद जिला अहमदाबाद उम्र 37 वर्ष को मुखबिर खास की सूचना पर चारबाग बस अड्डे के टिन सेड की बॉउंड्री के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा भेजा जा रहा है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- एजाज मिर्जा पुत्र अजीज मिर्जा निवासी 1549 अहमदाबाद मोती बलूच वाद भंडारी पोल थाना कालुपुर निकट फारूकी मस्जिद जिला अहमदाबाद उम्र करीब 37 वर्ष

03- अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0- 82/2026 धारा- 69 बीएनएस थाना नाका हिण्डोला , कमिश्नरेट लखनऊ।

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 रवीश भाटी थाना नाका हिण्डोला लखनऊ।
- का0 मनोज कुमार थाना नाका हिण्डोला लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1133
दिनांक-07.07.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-सुशान्त गोल्फ सिटी

- **चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी को संरक्षण में लिया गया।**
- **अभियक्त के कब्जे से 01 अदद मोबाइल, 01 अदद ब्लूटूथ इयरपाड व नगद 900 रुपये को बरामद किया गया। थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम की सफलता।**

01-कार्यवाही विवरणः-

श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर व श्रीमान संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार महिला एवं बाल सुरक्षा के लिए चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री अमित कुमार आनन्द के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार व श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज श्री ऋषभ यादव के मार्गदर्शन में एवं अतिरिक्त निरीक्षक थाना सुशान्त गोल्फ सिटी श्री विनोद कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में चोरी करने वाला 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी को संरक्षण में लिया गया।

02-संक्षिप्त विवरण-

- दिनांक-06.07.2026 को वादी मुकदमा उपमा सेन पत्नी मधुसूदन अग्रहरी निवासिनी माढरमऊ थाना सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ द्वारा तहरीरी सूचना दी गयी कि वादिनी के घर में घुसकर एक मोबाइल, पर्स में रखे 2000 रूपये तथा तथा अलमारी से 7-8 हजार रूपये चोरी करने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0-425/26 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया।
- अभियोग के सफल अनावरण व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया था। टीमों द्वारा करीब 50-60 सीसीटीवी, टैक्निकल एव मैनुयल साक्ष्यों को आधार पर आज दिनांक-07.07.2026 को अभियुक्तों को किसानपथ सर्विस रोड पर रेलवे लाइन के पास से गिरफ्तार किया गया व कब्जे से चोरी का मोबाइल बरामद करते हुए थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं-425/2026,धारा-331(3)/305(ए) बीएनएस में बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस में वैधानिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। शेष अभियुक्त की तलाश जारी है।

03-पूछताछ विवरण एंव माड्यूस आपरेंडीः-

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि अभियुक्तगणों द्वारा माढरमऊ कला स्थित एक मकान में गेट से कूदकर अन्दर कमरे में रखा एक मोबाइल व करीब 9000 रुपये चोरी कर लिये था, अभियुक्तों का साथी राज निवासी सोनई जो चोरी करने में साथ रहता था। अभियुक्तगण घरों के आप पास घूमते रहते थे, जब कोई अपना घर बन्द करके बाहर जाता था तो अभियुक्तगणों के द्वारा घर में कूद कर ताला तोड कर सामान चोरी कर लेते थे। घरों से चोरी किया हुए सामान को औने-पौने दाम में बेच कर अपना आर्थिक लाभ लेते थे।

04-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

1.अमन पुत्र नटवरलाल निवासी माढरमऊ कला थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ ,उम्र 19 वर्ष।

2.बाल अपचारी, उम्र 13 वर्ष।

05-आपराधिक इतिहासः-

- ***अभियुक्त अमन के विरुद्ध कुल-01 अभियोग पंजीकृत हैं-***

1. मु0अ0सं0- 425/26 धारा 331(3)/305(a)/317(2) बीएनएस थाना सुशान्त गोल्फ सिटी कमिश्नरेट लखनऊ।
2. मु0अ0सं0- 534/24 धारा 115(2) बीएनएस थाना सुशान्त गोल्फ सिटी कमिश्नरेट लखनऊ।

06-अनावरित अभियोग का विवरणः-

1.मु0अ0सं0- 425/26 धारा 331(3)/305(a)/317(2) बीएनएस थाना सुशान्त गोल्फ सिटी कमिश्नरेट लखनऊ।

07-व्यवसायः-

- अभियुक्त अमन द्वारा आटो रिक्शा ड्राइवर का काम किया जाता है।

08-बरामदगीः-

- 01 अदद मोबाइल (मोटोरोला , रंग लाल)
- 01 अदद ब्लूटूथ इयरपाड
- नगद 900 रुपये

09-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1134
दिनांक-07.07.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-सुशान्त गोल्फ सिटी

- **कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी रजिस्ट्री कराने वाले 01 शातिर अभियुक्त व 01 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार।**
- **थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम की सफलता।**

01-कार्यवाही विवरणः-

श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर व श्रीमान संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियो की रोकथाम के लिए चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री अमित कुमार आनन्द के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार व श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज श्री ऋषभ यादव के मार्गदर्शन में एवं अतिरिक्त निरीक्षक थाना सुशान्त गोल्फ सिटी श्री विनोद कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधडी करने वाले 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार।

02-संक्षिप्त विवरणः-

- दिनांक-06.07.2026 को वादिनी मुकदमा श्रीमती अंजली कश्यप पत्नी दीपक कश्यप निवासिनी धौरहरा पोस्ट अमेठी गोसाईगंज लखनऊ द्वारा तहरीरी सूचना दी गयी कि विपक्षीगण द्वारा धोखाधड़ी करते हुये आबादी की जमीन बताकर धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से फर्जी कूटरचित दस्तावेज तैयार करना, वादिनी को जमीन की रजिस्ट्री करना व 07 लाख रूपये ले लेने व पैसे मांगने पर एसटी/एससी मुकदमें में फसाने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस कमिश्नरेट लखऊ पर मु0अ0स0-225/2026, धारा-318(4)/338 /336(3)/340(2)/ 351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।
- दिनांक-07.07.2026 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण की तलाश हेतु थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम द्वारा सेक्टर जी0 7 में मौजूद था तभी पुलिस टीम को सूचना मिली कि उपरोक्त मुकदमें के मुल्जिमान रामप्रकाश उर्फ ओमप्रकाश पुत्र स्व0 भगीरथ व उसकी पत्नी श्रीमती मीना आज अपने घर पर मौजूद है।
- अभियुक्त उपरोक्त के घर पर दबिश देते हुये अभियुक्तगण रामप्रकाश उर्फ ओमप्रकाश पुत्र स्व0 भगीरथ व उसकी पत्नी श्रीमती मीना को न्यायिक हिरासत में लेते हुये मु0अ0सं0-225/2026 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/ 351(3) बीएनएस में अभियुक्तगणो के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

03-पूछताछ विवरण एंव माड्यूस आपरेंडी-

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणो से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि अभियुक्तगणों द्वार कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करते हुये आबादी की जमीन बताकर धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से, वादिनी को जमीन की रजिस्ट्री करना व 07 लाख रूपये ले लेना।

04-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. रामप्रकाश उर्फ ओमप्रकाश पुत्र स्व0 भगीरथ निवासी ग्राम टनटहा थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ उम्र करीब 51 वर्ष।
2. श्रीमती मीना पत्नी श्री रामप्रकाश उर्फ ओमप्रकाश निवासिनी ग्राम टनटहा थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ उम्र 45 वर्ष।

05-पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहासः-

***अभियुक्त* रामप्रकाश व मीनाः-**

1.मु0अ0सं0-225/2026 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/351(3) बीएनएस थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ।

06-व्यवसायः-

- अभियुक्त रामप्रकाश द्वारा मजदूरी का काम किया जाता है।
- अभियुक्त मीना गृहिणी है।

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1136

दिनांक-07.06.2026

एचपीवी टीकाकरण अभियान में उत्कृष्ट सहयोग पर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट को किया गया सम्मानित।

- **स्वास्थ्य विभाग–पुलिस समन्वय से सफल हुआ विशेष टीकाकरण अभियान**
- **जनस्वास्थ्य के प्रति समर्पित कार्यों के लिए लखनऊ पुलिस को मिली प्रशंसा**

01-संक्षिप्त विवरण-

लखनऊ। जनस्वास्थ्य एवं महिला सुरक्षा के प्रति अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हुए लखनऊ पुलिस ने 14–15 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं के **एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) टीकाकरण अभियान** को सफल बनाने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। इस अभियान के अंतर्गत सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम हेतु कुल **5050 बालिकाओं का टीकाकरण** सफलतापूर्वक कराया गया।

अभियान के सफल संचालन में लखनऊ पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था, समन्वय, जागरूकता एवं व्यवस्थागत सहयोग प्रदान किया गया, जिससे टीकाकरण कार्यक्रम सुचारु एवं प्रभावी ढंग से संपन्न हो सका।

लखनऊ पुलिस के इस सराहनीय योगदान एवं जनकल्याण के प्रति समर्पित कार्यशैली के लिए पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ को सम्मानित किया गया। कमिश्नरेट का प्रतिनिधित्व करते हुए **अपर पुलिस उपायुक्त लाइन्स श्री राजेश कुमार यादव** को **मा० राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल** द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। यह सम्मान स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस प्रशासन के बीच प्रभावी समन्वय, जनस्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील कार्यप्रणाली तथा समाजहित में किए गए उत्कृष्ट प्रयासों का प्रतीक है।

यह उपलब्धि न केवल अपर पुलिस उपायुक्त लाइन्स श्री राजेश कुमार यादव के नेतृत्व एवं समर्पण का सम्मान है, बल्कि सम्पूर्ण पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की जनसेवा, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं स्वास्थ्य संबंधी जनकल्याणकारी अभियानों में सक्रिय भागीदारी का भी प्रमाण है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ भविष्य में भी स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य शासकीय विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए जनहित एवं समाज कल्याण से जुड़े अभियानों में इसी प्रकार सक्रिय एवं सकारात्मक भूमिका निभाता रहेगा।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1135

दिनांक-07.07.2026

अंतराष्टीय फर्जी काल सेंटर संचालित कर विदेशी नागरिको से साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 25,000/- के इनामिया सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार

➤ **पूर्व में गिरफ्तार 119 अभियुक्तो के बाद फरार आरोपियों की गिरफ्तारी से विवेचना मे महत्वपूर्ण सफलता।**

विगत 01.07.2026 को साइबर क्राइम थाना व साइबर क्राइम सेल की टीम द्वारा संगठित साइबर गिरोह का खुलासा हुआ था, जो तकनीकी संसाधनों एवं इंटरनेट आधारित कॉलिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग कर विदेशी नागरिकों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के नागरिकों को निशाना बनाकर साइबर धोखाधड़ी कर रहा था। कार्यवाही के दौरान कुल 119 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था जिसके सम्बंध में थाना साइबर क्राइम लखनऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 78/2026 धारा 3(5),61(2),318(4),319(2),336(3),337,338,339,340(2) बीएनएस व 66 सी, 66 डी आईटी एक्ट, धारा 42(2) टेलीकॉम एक्ट-2023 पंजीकृत होकर मुकदमा उपरोक्त की विवेचना के क्रम में मुख्य सरगना 25000/- इनामिया विनीत वशिष्ट व अन्य 02 अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बंध में कार्यवाही।

01-कार्यवाही–

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर द्वारा बढ़ते साइबर अपराध व अपराधियों पर लगाम लगाने एवं घटित घटनाओ के त्वरित सफल अनावरण हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुक्रम मे श्रीमान संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय), पुलिस उपायुक्त (अपराध), अपर पुलिस आयुक्त (अपराध)के दिशा निर्देशन में तथा सहायक पुलिस आयुक्त साइबर व प्रभारी साइबर क्राइम थाना के संयुक्त पर्यवेक्षण मे साइबर क्राइम टीम द्वारा दिनांक 01.07.2026 को, विभूतिखण्ड क्षेत्र स्थित समिट बिल्डिंग में ऐसे संगठित साइबर गिरोह का खुलासा हुआ था, जो तकनीकी संसाधनों एवं इंटरनेट आधारित कॉलिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग कर विदेशी नागरिकों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के नागरिकों को निशाना बनाकर साइबर धोखाधड़ी कर रहा था। कार्रवाई के दौरान **कुल 119 नफर अभियुक्तों** को गिरफ्तार किया गया था तथा साइबर अपराध में प्रयुक्त बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए थे जिसके सम्बंध मे थाना साइबर क्राइम लखनऊ में मु0अ0सं0 78/2026 धारा 3(5),61(2),318(4),319(2),336(3),337,338,339,340(2)बीएनएस व 66 सी, 66 डी आईटी एक्ट, धारा 42(2) टेलीकॉम एक्ट-2023 पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना के क्रम में मुख्य सरगना 25000/- इनामिया विनीत वशिष्ट व अन्य 02 अभियुक्त की गिरफ्तारी क्राइम ब्रांच टीम व साइबर क्राइम थाना टीम द्वारा कोलकाता से नियमानुसार गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर ट्रांसिट रिमाण्ड प्राप्त कर अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

02-बरामदगी का विवरण-

➤ 01 अदद आई पैड
➤ 02 अदद Apple iPhone
➤ 5 हजार रूपये

03-अपराध का संक्षिप्त विवरण-

उच्चाधिकारीगणो के निर्देशन में बढ़ते साईबर अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, साईबर अपराधियों को पकड़ने व अवैध कॉल सेन्टरों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में, विभूतिखण्ड थाना क्षेत्र में साईबर क्राइम टीम द्वारा विभूतिखण्ड क्षेत्र स्थित समिट बिल्डिंग में संचालित एक संगठित अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर का सफलतापूर्वक भण्डाफोड़ किया गया था। इस कार्रवाई में ऐसे संगठित साइबर गिरोह का खुलासा हुआ था, जो तकनीकी संसाधनों एवं इंटरनेट आधारित कॉलिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग कर विदेशी नागरिकों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के नागरिकों को निशाना बनाकर साइबर धोखाधड़ी कर रहे था।गिरफ्तारशुदा इनामिया मुख्य सरगनाओ में विनीत वशिष्ट,विक्रम परमार,ललित खेराजानी(रोडी) द्वारा उक्त अवैध कॉंल सेन्टर का संचालन किया जा रहा था जिसमे गिरफ्तारशुदा अन्य अभियुक्त नायकर जयराज द्वारा उक्त काल सेन्टर के आफिस का रेन्ट एग्रीमेन्ट किया गया था। गिरफ्तारशुदा अभियुक्ता रिंकी दासगुप्ता द्वारा उक्त काल सेंटर से प्राप्त कमाई का विदेश तथा देश में हवाला के जरिए सेटलमेंट किया जाता था।

04-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01.विनीत वशिष्ट पुत्र धर्मेन्द्र वशिष्ट निवासी सी-227 भाविक नगर औधव इन्डस्ट्रियल स्टेट अहमदाबाद गुजरात उम्र 38 वर्ष

02. नायकर जयराज पुत्र तमिल रासन निवासी सी-23 नेशनल पार्क बिहाइन्ड हाटकेश्वर शमसान अहमदाबाद गुजरात उम्र-42 वर्ष

03.रिंकी दास गुप्ता पुत्री प्रदीप दास गुप्ता निवासी 31/1/10 गणपती इन्क्लेव इस्ट माल रोड इस्ट माल क्लब कोलकाता नोर्थ24 परगना उम्र 43 वर्ष

05-आपराधिक इतिहास

अभियुक्त विनीत वशिष्ट

01. एक अभियोग साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन अहमदाबाद गुजरात

02. एक अभियोग थाना औधाव अहमदाबाद गुजरात

नोटः मुकदमा उपरोक्त की धाराओ व अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

साइबर क्राइम थाना कमिश्नरेट लखनऊ

1. प्रभारी निरिक्षक बृजेश कुमार यादव
2. निरीक्षक शमीम अली सिद्दिकी
3. निरीक्षक शेनेन्द्र सिंह
4. म0का0 प्रिया
5. म0का0 प्रियंका शाक्या

अपराध शाखा टीम कमिश्नरेट लखनऊ

1. उ0नि0 आशुतोष पाण्डेय
2. उ0नि0 असलम खान
3. हे0का0 दिलीप
4. हे0का0 पवन कुमार

साइबर क्राइम थाना
कमिश्नरेट लखनऊ